

बांग्लादेश के आविर्भाव के सन्दर्भ में भारत—पाकिस्तान सम्बन्धों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Analytical Study of India-Pakistan Relations in The Context of The Emergence of Bangladesh

Paper Submission: 00/00/2020, Date of Acceptance: 00/00/2020, Date of Publication: 00/00/2020

सारांश

प्राचीन समय से ही भारतीय उपमहाद्वीप धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक रूप से विभाजित रहा है। इससे न ही मध्य युग और न ही आधुनिक युग अलग है। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन 1947 में हुआ और पाकिस्तान अलग राज्य बना पाकिस्तान का विभाजन राजनीतिक आधार पर 1971 में हुआ और बांग्लादेश राज्य का निर्माण हुआ। किसी भी देश के विभाजन में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं संजातीयता मुख्य तत्वों के रूप में अपनी भूमिका निभाती रही है। परन्तु बांग्लादेश के उदय में इन तत्वों के साथ—साथ युद्ध कूटनीति व अंतर्राष्ट्रीय सामरिक नीति ने भी महत्वपूर्ण योग दिया है।

The Indian subcontinent has been religiously, politically and socially divided since ancient times. Neither the Middle Ages nor the modern era is different from this. On the basis of religion, India was partitioned in 1947 and Pakistan became a separate state, Pakistan was partitioned on political grounds in 1971 and Bangladesh was created. Social, economic, political, religious, cultural, geographical and ethnicity have played their role as the main elements in the partition of any country. But in the rise of Bangladesh, along with these elements, war diplomacy and international strategic policy have also contributed significantly.

मुख्य शब्द : कूटनीति, भारत का सामाजिक हित, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, शरणार्थी, समस्याएँ पाकिस्तान की आंतरिक समस्या।

Bangladesh, Diplomacy, International Interference, Refugees Problem In India, Internal Problem Of Pakistan And War Of 1971.

प्रस्तावना

बांग्लादेश का उदय आधुनिक इतिहास की अद्भुत घटना है। इसने दक्षिण एशिया के सामरिक, भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक व विश्व शक्ति संतुलन को प्रभावित किया। बांग्लादेश ने 16 दिसम्बर 1971 को दक्षिण एशिया के मानचित्र पर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थान पाया। किसी भी राज्य के निर्माण, विकास व स्थायित्व के लिए राज्य के समस्त नगरिकों की सहभागिता आवश्यक है और राज्य द्वारा समस्त नगरिकों को मूलभूत अधिकार देना भी आवश्यक है। अधिकारों से राज्य के व्यक्तियों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है, जो राज्य की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखती है। एक राज्य के लिए समान भूगोल, इतिहास, धर्म, संस्कृति, भाषा, संजातीयता, समान राजनैतिक, आर्थिक हित व राज्य के समस्त क्षेत्रों का समान अर्थिक विकास राज्य की एकता और अखंडता के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन तत्वों के आधार पर राज्य राष्ट्र में परिणत होता है। किसी राज्य में अत्यधिक सामाजिक, आर्थिक असमानता कांति को जन्म देती है। और कांति के द्वारा राज्य नष्ट हो जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि किसी भी राज्य में गृहयुद्ध राज्य को नष्ट कर देता है। गृहयुद्ध राज्य में अशांति, हिंसा, अराजकता, अलगाववाद, अस्थिरता को जन्म देता है, जिससे राज्य की एकता, अखंडता प्रभावित होती है।

भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन काल से ही विविधताओं से युक्त रहा है, जहां सामाजिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप अनेक धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं, जातियों व प्रजातियों में विभक्त है, वहीं आर्थिक व भौगोलिक रूप से भी भारतीय



उत्तम कुमार

विभागाध्यक्ष,

राजनीति विज्ञान विभाग,
विजय सिंह पथिक राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कैराना, शामली, मेरठ भारत

Please add, Aim of the
Study & English
translation of Paper
title, Abstract and
Keywords in your
paper.

उपमहाद्वीप में विविधता विद्यमान है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के राष्ट्रवाद की भावना ब्रिटिश उपनिवेश के तहत विकसित हुई। राष्ट्रवाद की भावना को कमज़ोर करने और इसे विभाजित करने के लिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति को अपनाया गया, जिसके तहत उनके द्वारा यहाँ के दो प्रमुख धर्मों हिन्दू और मुसलमानों के मध्य विभेद उत्पन्न किए गए। इसी उद्देश्य से 1905 में ब्रिटिश वायसराय लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया। इसके पश्चात् ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा दिया गया, जिसे 1857 के विद्रोह के पश्चात् आरंभ किया गया।

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और दो-राष्ट्र सिद्धान्त

1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना में ब्रिटिश सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। 1909 में मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया, जिसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मत प्रणाली प्रदान की गई, जिसने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया। यद्यपि राष्ट्रवादियों के भारी विरोध के फलस्वरूप 1911 में बंगाल का विभाजन निरस्त किया गया, तब मुस्लिम समुदाय द्वारा 1911 में बंगाल के विभाजन को समाप्त करना एक गंभीर झटके के रूप में लिया गया।¹ परन्तु इसने भारतीय राजनीति को अस्थिरता और अनिश्चितता के जाल में उलझा दिया। धीरे-धीरे भारतीय राजनीति में पृथकतावादी, साम्प्रदायिक गतिविधियां तीव्र होती जा रहीं थीं, जो भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजन की ओर जे जा रहीं थीं। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर घोषणा पत्र आया, जिसके तहत उत्तर-पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को जहाँ मुस्लिम संख्या में थे स्वायत्त और संप्रभु राष्ट्र की मांग की गई, जिसने पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

भारतीय उपमहाद्वीप का ब्रिटेन द्वारा 14–15 अगस्त 1947 में तीन भागों भारत, पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल भौगोलिक रूप से, जबकि राजनैतिक रूप से दो संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया गया। ब्रिटिश वायसराय लार्ड माउंटबेटेन के समक्ष भारत के विभाजन के समय पूर्ण स्वायत्तता और अलग राज्य की मांग की गई। इनमें शामिल थे— हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू-कश्मीर के राजा हरिसिंह, खान अब्दुल गफकार खान ने पख्तूनिस्ट, जी.एम.सईद द्वारा सिंधी नेशनलिस्ट, अब्दुल करीम द्वारा बलूच नेशनलिस्ट एवं बंगाल के प्रमुख नेता व प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी द्वारा (United Sovereign Bengal) की मांग की गई, परन्तु ब्रिटिश वायसराय लार्ड माउंटबेटेन द्वारा सिर्फ जिन्ना व मुस्लिम लीग की द्वि-राष्ट्र के सिद्धान्त के आधार पर पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। पख्तून, बलूच, सिंध व पंजाब को आसानी से भौगोलिक आधार पर पाकिस्तान के साथ समाहित किया जा सकता था, परन्तु पूर्वी बंगाल को आसानी से पाकिस्तान के साथ समाहित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि दोनों के मध्य लगभग भारत का एक हजार वर्गमील क्षेत्रफल पड़ता था, जो दोनों को भौगोलिक दृष्टि से अलग करता था। संगठित यथोष्ट रूप से असंगत दो भागों को मौलाना आजाद द्वारा आभास किया गया कि

“ मि. जिन्ना और उनके अनुयायियों द्वारा न देखा गया, न अहसास किया गया कि भौगोल उनके विपरीत था। यहां दो कारण हैं कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान भौतिक संबंध का कोई बिन्दु नहीं रखते थे। इन दोनों क्षेत्रों के लोग धर्म को छोड़कर पूर्णतः भिन्न थे। लोग सहमत हुए यह एक बहुत बड़ा धोखा है, कि धार्मिक सादृश्य लोगों को एक रख सकता है, जबकि वे भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषायी रूप से भिन्न थे। कोई यहा आशा नहीं कर सकता कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान इन सभी विभिन्नताओं के फलस्वरूप एक राष्ट्र के रूप में व्यवस्थित बने रहेंगे।²

भारतीय उपमहाद्वीप में 1947 में उदित नवोदित राज्यों भारत व पाकिस्तान में लोकतंत्रीय प्रणाली का नया अनुभव था। जहां एक ओर भारत ने अपनी समस्याओं को सुलझाते हुए लोकतंत्रीय प्रणाली का विकास और उसे मजबूती प्रदान की, वहाँ पाकिस्तान लोकतंत्रीय प्रणाली का सुचारू रूप से संचालन करने में असफल हुआ। लोकतंत्रीय प्रणाली के विकास व संचालन के लिए जनता की शासन में सहभागिता अति महत्वपूर्ण है। समय पर संविधान के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया का होना और राज्य के समस्त क्षेत्रों का समुचित विकास होना विशेष महत्वपूर्ण है, जिससे जन समुदाय में लोकतंत्र के प्रति आस्था व राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा की है—“जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन”³

पाकिस्तान का लोकतांत्रिक संकट

पाकिस्तान अपना लोकतंत्रीय संवैधानिक विकास करने में पूर्णतः असफल रहा। 1948 से 1970 तक कोई चुनी हुई सरकार सत्ता में नहीं आई और न ही 1956, 1962 व 1968 का कोई भी संविधान पाकिस्तान में राजनैतिक स्थायित्व प्रदान कर सका। जिन्ना की मृत्यु व लियाकत अली की हत्या के पश्चात् पाकिस्तान में राजनैतिक अस्थिरता का दौर आरंभ हुआ, जो कि पाकिस्तान विभाजन के पश्चात् भी समाप्त नहीं हुआ। पूर्वी बंगालियों की संविधान सभा में बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह ने परिणामतः पूर्वी बंगाल को पश्चिमी पाकिस्तान के केवल उपनिवेश के संघि पत्र के आधार पर अस्वीकृत कर दिया।⁴ 4 फरवरी 1948 को पूर्वी बंगाल की यात्रा के समय ढाका विश्वविद्यालय में भाषण देते समय जिन्ना द्वारा घोषणा की गई, कि पाकिस्तान की एक मात्र भाषा उर्दू होगी।⁵ वहां उपस्थित जनसमूह द्वारा इसका विरोध किया गया और इसके साथ ही पूर्वी बंगाल में भाषागत आन्दोलन आरंभ हो गया। भाषा के आन्दोलन ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हिला दिया।

पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा आंदोलन

1956 के संविधान द्वारा बंगाली भाषा को उर्दू भाषा के समान राष्ट्रीय स्तर की भाषा का संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाषा के आन्दोलन ने बंगाली जनसमुदाय के मध्य राष्ट्रवाद की भावना को पुनः विकसित किया। पाकिस्तान संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 23 फरवरी 1948 को आरंभ हुआ, उसी दिन पूर्वी बंगाल के कांग्रेस सदस्य धीरेन्द्र नाथ दत्त द्वारा बंगाली भाषा के प्रस्ताव को

उर्दू और अंग्रेजी के साथ संविधान सभा मेज पर रखा गया। प्रस्ताव का तत्काल प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, पूर्वी बंगाल के मुख्यमंत्री ख्वाजा नजीमूद्दीन, गजनफर अली खान, तमीजुद्दीन खान और अन्य ने शक्तिशाली विरोध के द्वारा बंगाली भाषा को सभा में अस्वीकृत कर दिया।⁶ भाषा, संस्कृति और पूर्वी बंगाल के राजनैतिक शोषण की प्रक्रिया बंगालियों को राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित कर रही थी।

पाकिस्तान संवैधानिक व राजनैतिक रूप से असफल हुआ, जब सैनिक नौकरशाही द्वारा पाकिस्तान की शासन सत्ता पर अधिकर कर लिया गया और इसके साथ ही पाकिस्तान में लोकतंत्र पूर्णतः असफल हो गया। 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान द्वारा इस्कंदर मिर्जा को अपदस्थ करके पाकिस्तान की सत्ता को सेना द्वारा पूर्ण नियंत्रित किया गया। तथ्य में अयूब खान द्वारा मिर्जा को आदेश दिया गया कि वह मार्शल लॉ की घोषणा करें, वर्ना वह स्वयं ऐसा करेंगे।⁷ तारिक अली द्वारा कहा गया, “जब सेना और सिविल सर्विस द्वारा सैनिक अधिग्रहण का निर्णय लिया गया, तथ्य में औपचारिक रूप से विभाजन के अस्तित्व की स्थिति को प्रकट किया गया।⁸ अयूब खान का सैनिक शासन 1958 से 1969 तक रहा। 25 मार्च 1969 को याह्या खान ने सैनिक शासन की बागड़ोर सम्मल ली। पाकिस्तान विभाजन तक याह्याखान का सैनिक शासन बना रहा।

पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में भूगोल के साथ-साथ भाषागत, सांस्कृतिक संजातीय व आर्थिक विभिन्नता विद्यमान थी। पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा सिंधी, पंजाबी, पख्तू व बलूची थी और पूर्वी पाकिस्तान की भाषा बंगाली थी, जबकि उर्दू भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करके गए मुसलमानों की भाषा थी। दोनों भागों की जनता के रहन-सहन, जीवन स्तर व खान-पान में पूर्ण भिन्नता थी। मात्र धार्मिक रूप से वह राजनैतिक मंच पर एकत्रित थे और लोकतंत्र की असफलता से बिखरने लगे, जिसे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक शोषण ने मजबूती प्रदान की, जिसने पृथकतावादी व अलगाववादी तत्त्वों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। पाकिस्तान कभी भी स्वयं को संगठित रूप से राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर पाया। वैचारिक मतभेदों के साथ-साथ भूगोल ने पूरब व पश्चिम को कभी भी एक नहीं होने दिया। दोनों भाग आरंभ से ही स्वायत्त क्षेत्र के रूप में रहे और वह इस अवसर में थे कि कब वे एक-दूसरे से अलग हो सकें, जिसके लिए उन्हें 23 वर्षों का लंबा इंतजार कराना पड़ा, जो कि याह्या शासन में 1970 के आम चुनावों के पश्चात् आया। चुनाव उपरांत पाकिस्तान में संकट आश्चर्यजनक रूप से एकदम आया। पाकिस्तान स्वयं को इस संकट से उबारने में पूर्णतया विफल रहा।

उसकी कूटनीति और राजनीति संकट का हल खोजने में असफल रही। पाकिस्तान के आंतरिक संकट ने पड़ोसी राष्ट्र भारत सहित विश्व शक्तियों को अपने-अपने हित लक्ष्यों को पूर्ण करने का अवसर दिया। भारत द्वारा पाकिस्तान संकट का भरपूर लाभ उठाया गया। भारत पाकिस्तान के जन्म से ही नजर लगाए हुए था, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था। भूगोल व सामाजिक, आर्थिक,

सांस्कृतिक विषमता की वजह से पाकिस्तान धर्म के नाम पर अधिक समय तक पूर्वी बंगाल को अपने साथ नहीं रख सकता था, क्योंकि वह आरंभ से ही अप्रत्यक्ष रूप से एक पृथक राज्य के रूप में था, जिसे संवैधानिक वैधानिकता मात्र प्रदान करनी थी। उसे भारत ने दिसम्बर 1971 में पूरा किया।

सोलहवीं शताब्दी में मैकियावली प्रथम लेखक था, जिसने अपनी पुस्तक ‘The Prince’ में पड़ोसी राज्य के आंतरिक मामले में आत्महित के आधार पर दूसरे के द्वारा हस्तक्षेप के कार्य का समर्थन किया था।⁹ यद्यपि भारत पाकिस्तान को विभाजित देखना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने 1967 से पूर्वी पाकिस्तान की पृथकतावादी गतिविधियों को समर्थन दिया। भारत सहयोगी अवामी लीग व समानहित वाली पार्टियों को समर्थन दिया, परन्तु तत्कालीन समय में भारत का पाकिस्तान संकट में हस्तक्षेप करने का अन्य कारण भी था, जिनमें शरणार्थी समस्या सबसे बड़ा मुख्य कारण था भारतीय विदेशमंत्री ने कहा : “... बांगलादेशी लोगों की विशालकाय भीड़ का आना भारत में शुरू हुआ.... और भारतीय सुरक्षा पर खतरा, स्थिरता और आर्थिक विशालकाय असैनिक हमला शरणार्थियों को वास्तविक शब्दों में निर्णायक नहीं हो सकता था...असहनीय जनसांख्यिकीय दबाव उठ रहा था। एक छोटा सा राज्य बाड़ का सामना करने के लिए असफल हो गया।”¹⁰ अधिकारिक रूप ये शरणार्थी वापस होने का अधिकार रखेंगे, यदि वह राज्य का चुनाव करते हैं। वह एक राष्ट्रीय देश के नागरिक हैं और यह बराबर कर्त्तव्य होगा उन्हें लेने का राज्य और देश का।¹¹

बांगलादेश स्वतंत्रा आन्दोलन व भारत में शरणार्थी समस्या

पाकिस्तानी सेना द्वारा की जा रही बांगलादेशी नागरिकों की हत्याओं ने भारत सहित विश्व मानवता को द्रवीभूत कर दिया और विश्व जनमत पाकिस्तान के सैनिक शासन के विरुद्ध और बांगलादेशियों के पक्ष में हो गया। जहां विश्व के अनेक राष्ट्रों ने पाकिस्तान के संकट को आंतरिक संकट के रूप में स्वीकारा वहीं भारत द्वारा इसे आंतरिक संकट के रूप में नकार दिया गया। पाकिस्तान और भारत के मध्य संघर्ष की चिंता, बड़ी संख्या में शरणार्थियों का भारत में होना था।¹² न सिर्फ भारत, बल्कि पूरा विश्व समुदाय जनता की हत्याओं को रुकवाने का वैधानिक अधिकार रखता है। और बंगाली शरणार्थियों को पूर्वी बंगाल में वापस भेजना चाहता है।¹³ जब कठिन राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण किया जाता है, तब 1971 का संकट न्याय योग्य मानवीय चिंता को पुनः भ्रम में डाल देती है। अभी तक नवीन इतिहास के समय में कोई ऐसा देश नहीं आया है, जिस देश के आंतरिक मामले में न्यायिक प्रयोग के लिए हमला हुआ हो और दूसरे का विघटन हुआ हो।¹⁴ पाकिस्तान का 1970 का संकट लोकतंत्रीय सत्ता के वैधानिक परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि सैनिक शासन के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग थी, जिसे सैनिक शासन देना नहीं चाहता था। यह केवल सेना से राजनीतिज्ञों के बीच सत्ता के बदलाव की समस्या नहीं थी। यह पाकिस्तान में मौलिक अधिकारों

की पुनर्संरचना, राजनीतिक व्यवस्था और परम्परागावादी पुनर्वितरण व्यवस्था के अंदर शक्तिपुंज के रूप में थी।¹⁵

पाकिस्तान का संकट शरणार्थियों के रूप में भारत का संकट बनता जा रहा था। विश्व शक्तियां सामरिक व मानवीय आधार पर बांगलादेश के स्वतंत्रता आन्दोलन को सहयोग दे रहीं थीं और इसके साथ ही पाकिस्तान को सैनिक व आर्थिक मदद भी प्रदान कर रहीं थीं। विश्व शक्तियां अपने सामरिक व भू-राजनीतिक हित के तहत कूटनीतिक खेल खेल रहीं थीं।¹⁶ यूएस. द्वारा इंटरप्राइज युद्धपोत व अन्य के द्वारा प्राथमिक सोवियत फलीट को बंगाल की खाड़ी में भेजा गया। इससे यूएस. के आधिकारिक प्रवक्ता ने जोर दिया कि सेना का मुख्य कार्य व उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को ढाका से निकालना था।¹⁷ संसद में प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने एक प्रस्ताव रखा, जिसे 31 मार्च को त्वरित रूप में स्वीकार किया गया। बंगालियों को विश्वास दिलाया गया “भारत के पूर्ण हार्दिक समर्थन” और विश्व समुदाय को सूचित किया गया कि वहां “डिसीमेंशन” को बंद करवाया जाए।¹⁸

1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध व बांगलादेश का उदय

25 मार्च 1971 के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक हमले ने विश्व राष्ट्रों को स्तब्ध कर दिया। सैनिक हमले से वार्ता के सभी दरवाजे बंद हो गए। स्वाधीनता संघर्ष के द्वारा बांगलादेश की स्वतंत्रता वास्तविक सत्यता बन गई। सेना का हमला बंगाली जनता के विरुद्ध था। इसमें मुसलमान और हिन्दू दोनों ही हताहत हुए और कोई भी शेष नहीं बचा। जो परस्पर तर्क द्वारा बंगाली वैधानिकता की वास्तविक संस्तुति कर सके।¹⁹ पाकिस्तान सरकार द्वारा पूर्वी बंगाल के पृथकतावाद को तोड़ने के लिए तथा क्रियात्मक रूप से इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए 25 मार्च को भय के लिए बन्दूक का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया।²⁰ संयुक्त राष्ट्र महासंचिव यूथांट 1 अप्रैल को पूर्वी पाकिस्तान में हताहत को मानवीय कष्ट में सहायता देने की बात कही। महासंचिव यूथांट द्वारा 22 अप्रैल को राष्ट्रपति याह्या को पत्र लिखा गया कि संयुक्त राज्य पूर्वी पाकिस्तान की जनता को आर्थिक मदद जारी रखेगा।²¹

भारत ही नहीं विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बांगलादेशियों को मानवीय आधार पर सहायता दी जा रही थी और मानवता के आधार पर उनके आन्दोलन को न्यायिक ठहराया जा रहा था, जिससे बांगलादेशी स्वतंत्रता आन्दोलन को दृढ़ता प्रदान हो रही थी। अब यह कल्पना करना बहुत कठिन है कि किसी संगठित विश्व शक्ति का दबाव और प्रोत्साहन वर्तमान पाकिस्तान सरकार पर था। पूर्वी पाकिस्तान को पर्याप्त मात्रा में स्वायत्तता देना अधिकांशतः शरणार्थियों को घर जाने के लिए राजी कर लेना।²² बहुत अधिक संगठित और विस्तार रूप में भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों पर विचार करना इस क्षेत्र की स्थिरता पर विचार करना था।²³ अवामी लीग सभी पाकिस्तान के राजनीतिक दलों में सर्वाधिक पंथ निरपेक्ष थी। इसने हिन्दू-मुस्लिम तनाव के व्यापार को नकार दिया। इसने संसदीय प्रणाली पर आक्षेप किया।²⁴ सत्य रूप से संविधान द्वारा लाहौर घोषणा पत्र के आधार पर पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की गई और सर्वाच्च

संसदीय सरकार के प्रत्यक्ष सार्वभौमिक युवा मताधिकार चुनाव हुए, जबकि सार्वभौमिक मताधिकार की मांग को जनरल अयूब खान द्वारा 1962 में Basic Democracy के तहत नकार दिया गया।²⁵ मुजीब ने 1970 के चुनाव पूर्व एक जनसभा में घोषणा की “पाकिस्तान स्थिर है। और कोई भी शक्ति उसे विभाजित नहीं कर सकती।”²⁶ चुनाव पश्चात् अन्य रूप से इंटेलीजेंस को मुजीब से स्पष्टः कहा “मेरा उद्देश्य बांगलादेश की स्थापना है, मैं LFO के एक टुकड़े पर चुनाव पश्चात् आंसु बहाउंगा, कौन मुझे चुनौती देगा, जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे।”²⁷

भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त था, जो बांगलादेश को धार्मिक बंधन में लम्बे समय तक नहीं बांधे रख सकता था। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, मौलिक अधिकार राजनीतिक अधिकार, संस्कृति धर्म से ऊपर थी, जो उन्हें पाकिस्तान के साथ हार्दिक रूप से समाहित नहीं कर सकी। सिर्फ धार्मिक विश्वसनीयता अर्थपूर्ण स्थापना का प्रस्ताव उपमहाद्वीप की विभाजन रेखा अधिक समय तक नहीं रह सकी, जबकि नए कारण के रूप में पृथक पाकिस्तान अस्तित्व में आया। ‘द्वि-राष्ट्र’ के सिद्धान्त की संरक्षित 25 मार्च की रात को टुकड़े-टुकड़े हो गई, जब पश्चिमी पाकिस्तानी टैंकों की गडगडाहट व लड़ाकू विमानों की धक्कती हुई आग ने पूर्वी पाकिस्तान की मोर्च बंदी की²⁸ विशेष संबंध में पहले से प्रस्तावित किस प्रकार नेहरू की सोच पूर्वी संकट में आज व्यवहारिक हुई, इसकी व्याख्या करना आवश्यक है, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान ने भयंकर भूल की अपनी नग्न सैनिक दमन नीति द्वारा। 25 मार्च को क्या घटित हुआ, उसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता था। वह मात्र पागल व्यक्ति का व्यवहार और परपीड़ा मात्र थी। इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति साफ-साफ प्रकट होने लगी। राज्य का भय भारत के संघर्ष के द्वारा इस उपमहाद्वीप में नई शक्ति संतुलन का बनना अवश्यंभावी हो गया था।²⁹

भारत पाकिस्तान को विघटित नहीं करना चाहता था : यह देश का आंतरिक विकास था, इसका भारत पर प्रतिधात था और महान शक्तियों के संबंधों में बदलाव। इसलिए भारत को युद्ध के खतरे की दौड़ को नियंत्रित करना पड़ा।³⁰ बांगलादेश संकट पर प्रो. Frey Wouters ने सम्मेलन में बोलते हुए वर्जीनिया विश्वविद्यालय के Charlottesville में कहा : मैं बांगलादेश की स्वतंत्रता का समर्थन करता हूँ। मैं संयुक्त राष्ट्र पर संकट के उत्तरदायित्व की असफलता के लिए आरोप लगाता हूँ। इसके राजनीतिक हस्त व्यापार के लिए और अधिकांशतः सभी पर, मैं पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाता हूँ। कायरता पूर्वक अपराध करने का, लेकिन मैं मौन वैधानिक एकपक्षीय भारतीय भाग के हस्तक्षेप को ग्रहण नहीं कर सकता।³¹ संकट के उत्तरदायित्व के लिए मुजीबुर रहमान की Six-Point Charter के तहत पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्ता की मांग की संभावना थी।³²

जब पाकिस्तान सैनिक शासन द्वारा सामान्य चुनाव करवाए गए, भारत में इसके पश्चात् लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पुनः संचालन के लिए स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई, क्योंकि अवामी लीग के नेता भारत के

साथ भित्रा बढ़ाने की अभिलाषा रखते थे। भारत उनके लिए आशा रखता था और लोकतांत्रिक संस्था के पुनः संचालन के लिए सहायता करना चाहता था। यह विचारणीय प्रस्ताव जिन्ना का पाकिस्तान स्थिर रहे, जिसे न ही याह्या न ही भाटटो न ही अन्य जनरल द्वारा, और न ही पश्चिमी पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों द्वारा देखा गया, न पकड़ने की कोशिश की गई और न ही बंगाली राष्ट्र को आश्चर्यजनक किया द्वारा दबाया गया³³ भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में मिड-वाइफ का कार्य किया।³⁴

याह्या खान जुलिफ्कार अली भुट्टो से एक और दो अप्रैल को मिले तथा भारतीय प्रतिक्रिया पर चर्चा की। जुलिफ्कार अली भुट्टो ने इस मीटिंग के पश्चात् प्रेस कांफेस में भारत की आलोचना की, उनका विश्व में प्रदर्शन और असम्भव हस्तक्षेप वह अपने भीतर देखें कश्मीर, मिजों और नागा का शर्मनाक रिकार्ड है।³⁵ पूर्वी पाकिस्तान ने अपना मत शोषण के विरुद्ध दिए न कि अलग होने के लिए।³⁶ 4 अप्रैल को नूरुल अमीन और अन्य नॉन अवामी लीगर्स ने अपने सहयोग को बढ़ाना आरंभ किया, शान्ति सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। चार दिन पश्चात् मुहम्मद साबुर, मोहम्मद अली और पूर्वी पाकिस्तानी नेताओं ने भारत की आलोचना की।³⁷ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय उत्तरदायित्व को स्पष्ट किया और आरोप लगाया न तो यह उप युक्त है और न भारत के लिए संभव है कि वह वर्तमान स्थिति में शांत रहे। यह हस्तक्षेप नहीं था, जैसा कि भारत ने हमेशा आवाज उठायी है। उपनिवेशवाद और दमन के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए।³⁸ श्रीमती गांधी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क में कहा, ‘‘हम आपका समर्थन और हमदर्दी चाहते हैं, लेकिन भारत लड़ने की तैयारी अकेले करेगा, क्या यह सोचना लड़ने के लिए उपयोगी है?’’³⁹

कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के लिए खासतौर से पश्चिमी पाकिस्तान के लिए विशेष महत्वपूर्ण था। उन्होंने (पूर्वी पाकिस्तानियों ने) अहसास किया कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ सहजता से हो सकता है, इसका बने रहना पश्चिमी क्षेत्र के लिए मजबूती थी। डेविड लोसफ द्वारा स्वीकार किया गया, “.... कश्मीर का मुद्दा साधरणतः बंगालियों के लिए बहुत छोटा था—वे कभी भी इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, न ही इस पर विचार करना चाहते थे, न ही वे कश्मीर से कुछ पाना चाहते थे। यदि वे पा सकने का अधिकार कभी रखते।⁴⁰ अताउर रहमान जो एक समय पूर्वी पाकिस्तान के मुख्यमंत्री व अवामी लीग के नेता थे, अयूब खान से प्रत्यक्षतः कहा, कश्मीर मात्र पश्चिमी पाकिस्तान की समस्या है न कि पूर्वी पाकिस्तान की।⁴¹

पाकिस्तान की विदेश नीति भारत विरोध व कश्मीर को लेकर संचालित होती थी, जबकि भारत हमेशा से पाकिस्तान को एक कमज़ोर राष्ट्र बनाना चाहता था, इसके लिए भारत द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के राजनेताओं व जनता की स्वायत्तता की महत्वाकांक्षी मांग को बढ़ावा दिया गया। फिर इसके पश्चात् पाकिस्तान के संकट का फायदा उठाया गया।

1971 का पाकिस्तान संकट आंतरिक था, परन्तु मानवीय व शरणार्थी समस्या से आंतरिक संकट नहीं रह

सका। धीरे-धीरे वह अंतर्राष्ट्रीय संकट भी बन गया। शीतयुद्ध का प्रभाव पाकिस्तान संकट के समय दक्षिण एशिया की राजनीति पर देखा गया। विश्व शक्तियां अपने सामरिक हितों के तहत दो भागों में विभाजित हो गई जबकि दोनों ही अप्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेशियों के प्रति सहानुभूति रखती थीं, परन्तु सामरिक हितों के तहत एक-दूसरे के विपरीत थीं। शरणार्थीयों की समस्या से धीरे-धीरे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बनता जा रहा था, जिसका निवारण स्वयं भारत को तलाशना था।

निष्कर्ष

भारत बांग्लादेश के निर्माण के लिए बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रत्यक्ष सैनिक व आर्थिक सहयोग देता रहा, जिससे वे पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध गृहयुद्ध जारी रख सकें। पाकिस्तानी संकट में बांग्लादेशियों के लिए वह स्वतंत्रता सेनानी थे, तो पाकिस्तान के लिए विद्रोही, उग्रवादी व पृथक्तावादी तत्व थे। चीन व विश्व के अन्य राष्ट्र पाकिस्तान के संकट को आंतरिक के रूप में मानते रहे, जबकि भारत इसके विपरीत था। तत्कालीन समय में सभी परिस्थितियां बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों के पक्ष में और पाकिस्तान के विपक्ष में होती गई, जहां भूट्टो द्वारा सैनिक कार्रवाई के पश्चात् स्वीकार किया गया कि ईश्वर का धन्यवाद है कि पाकिस्तान सुरक्षित है, वहीं भारतीय विचारक मानते थे कि पाकिस्तान का विभाजन भारत का हित है पाकिस्तान, भारत व विश्व शक्तियों द्वारा बांग्लादेश के निर्माण में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया गया, वहीं भारत की भूमिका बांग्लादेश के निर्माण में सर्वोपरि थी। बिना भारत के सहयोग के बांग्लादेश के निर्माण मात्र कल्पना थी। भारत और बांग्लादेश दोनों को यह आवश्यक रूप से समझना होगा कि 1971 के संकट में दोनों का सामरिक हित था। इसी के तहत वे संकट के समय एक साथ आए थे।

References

1. Mutih, A. M.A., (1978), *Bangladesh: Emergence of A nation*, Dhaka: Bangladesh Books International Lit. p. 26.
2. Gulati, Chandrika J., (1988), *Bangladesh: Liberation to Fundamentalism A Study of Volatile Indo-Bangladesh Relations*, New Delhi: Commonwealth publishers, p.26
3. Ashirwadam, A.D. and Mishra, Krashnakant, (2001), *Political Science, (in Hindi)*, New Delhi: S. Chand and Company Pvt. Ltd. P.602
4. Maniruzzaman, Talukder, (1975), *Radical Politics and The Emergence of Bangladesh*, Dhaka: Bangladesh Books International Lit. p. 32.
5. Maniruzzaman, Talukder, (1982), *Studies of Pakistan and Bangladesh*, New Delhi: South Asian Publishers. P.2.
6. Umar, Badruddin, (2004), *The Emergence of Bangladesh: Class Struggles in East Pakistan 1947-1958*, Karachi: Oxford University Press.p.32.
7. Mutih, A. M.A., (1978), p.55.
8. Mutih, A. M.A., (1978), p.55-56.
9. Hasant, Sayed Farooq, (1998), “India Intervention in East Pakistan: A Review under International Law” in Grover, Verinder and Arora Ranjana ed.

- 50 Years of Indo-Pak Relations, New Delhi: Deep & Deep Publications. P.475.
10. *Ibid*.p.461.
 11. *Ibid*.p.461.
 12. *Ibid*.p.461.
 13. Rajan, M.S., (1971), *The Bangladesh Question and World Politics*, I.D.S.A. Journal New Delhi: Vol.4. No.1.Julay, p.5.
 14. Hasant, Sayed Farooq, (1998), p.45615.Gupta, Sisir, (1971), *Restructuring the Sub-Continent, Foreign Affairs Reports*, New Delhi: Vol.xx.No.3, March p.62.
 15. Afzal, M. Rafique, (2001), *Pakistan: History & politics 1947-1971*, Karachi: Oxford University Press P. 442.
 16. Sanjay, Bhardwaj, (2002), *Bangladesh-US Relations: from Cooperation to Partnership*, Delhi: Kalinga Publications, p. 28.
 17. Afzal, M. Rafique, (2001), p.443.
 18. Ziring Lawrence, (2005), *Pakistan: At the Crosscurrent of History*, New Delhi: Manas Publications, p. 123.
 19. Muhith, A.M.A., (1996), *American Response to Bangladesh Liberation War*, Dhaka: University Press Limited, p.123.
 20. *Ibid*.p.23.
 21. *Ibid*.p.133.
 22. Tirimagni-Hurtig, Christiane, (1947), *The Indo-Pakistan War and The Ending of a Power Balance in South Asia*, The Indian Journal of Political Science, New Delhi: Vol.xxxv.No.3. July-September. 202.
 23. Muhith, A.M.A., p.143.
 24. Akhtar, Salman, (2000), 1971 in 200, August20, see [htt: www.Chowk.Com>Show-article.cgi?aid](http://www.Chowk.Com>Show-article.cgi?aid).
 25. *Ibid*.
 26. *Ibid*.
 27. Muhith, A.M.A., p.161.
 28. *Ibid*.p.162.
 29. Tirimagni-Hurtig, Christiane, p.202.
 30. Hasnat, Syed Farooq, p.456.
 31. Tikoo, Ratna, (1987), *Indo-Pak Relations: politics of Divergence*, New Delhi: National Publications, p. 145.
 32. Ziring, Lawrence, p.123.
 33. *Ibid*.p.126.
 34. Raza, Rafi, (1997), *Julfikar Ali Bhutto and Pakistan 1967-1977*, Karachi: oxford University Press, p.93.
 35. *Ibid*. pp. 93-94.
 36. *Ibid*.p.94.
 37. *Ibid*.p.94.
 38. Afzal, M. Rafique, p. 446.
 39. Ghosh, Sucheta, (1983), *The Role of India in The Emergence of Bangladesh*, Calcutta: Minerva Associates Publications Pvt. Ltd. P.17.
 40. *Ibid*. p.18.